


5.4.21- पत्रावली पेश हुई। यकीन कि प्रार्थी
उपरोक्त विधि प्रार्थी व प्रार्थनी के सुपात्रित।
बार-बार के राज डिलोप पर भी कोई हाजिर
नहीं है। इस प्रार्थनी का प्रार्थना-पत्र
रु. 500 हाजरी के एक पत्र के द्वारा जमा
जाता है। पत्रावली केवल मुकाम होकर ट्रायल
द्वारा ही नगरे से कम विपात्रित। निर्णय
सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
इमाना (नागौर)

